

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwalli.edu/>

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/**4297**

दिनांक : 22/12/11

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोरमेशन टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय, में परिनियम 28(17) के अंतर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति ए.आई.सी.टी.ई. मानक के अनुसार पूर्ण करें।
2. पुस्कालय में प्रबंध संबंधी 50 शीर्षक क्रय करें।
3. संस्थान में क्रीड़ा अधिकारी तथा पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति परिनियमानुसार करें।
4. परिनियम 27-28 का पालन करें।

आदेशानुसार
3
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोरमेशन टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट, ग्वालियर।
2. निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, इंदिरा गांधी छेल परिसर, इन्डप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

[Signature]
सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्पण पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे ज
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बवित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिसिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (जिवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ ५२९।

दिनांक : २१/१२/११

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.बी.ए. द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्त/प्रतिबंध :-

- महाविद्यालय परिनियम 28(17) के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करे।
- पुस्तकालय में प्रबंध संबंधी 50 शीर्षक क्रय करे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

- प्राचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट, ग्वालियर।
- निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, इंदिरा गांधी छेल परिसर, इन्डप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिवित संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमस्त एवं व्यवस्था कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय से बत्ते हो रहे जाएं जा चुके हैं।
किंतु अब एक प्राप्तिकारी की जगह हो।
उमस्त विद्यालय पर यह यहाँ पूर्व में पन्न
व्यवस्था कुआ हो तो पन्न क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जाये जिससे सुधिष्ठित हो।



ग्राम : बुलौली/ठी
दूरभाष : (0751) 2347896
(0751) 2442829
फैक्टरी : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2009/4551

दिनांक: 13/02/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से उमस्त इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर ऐक्सेलेंजी एण्ड ऐड्युकेशन, जाहिनपुर (0751-2440058) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.डी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्तायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/उपायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अनुरूप नियन्त्रणात बिरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. जे.एव. गौतम, आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक) 0751-2442762)

(2) प्रो. उमेश होलाली, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबन्धन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) डॉ. के.एस. ठाकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबन्धन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।


बिरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष नियीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैशणिक/अशैशणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, ब्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडीबैन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैशणिक स्टॉफ की बिरीक्षितयों का प्रमाण एवं वैठन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर बिरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर नियीक्षण करायें। समिति संयोजक से बिवेदन है कि वे उक्त विधिवित समय में बिरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। बिरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित्व बिरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद बिरीक्षण में की गई देरी के लिए अवाविद्यालय द्वायं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में बिरीक्षण बही करता है तो समिति द्वायं बिटरत हो जावेगी और पुब्लिक बिरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात ती बिरीक्षण समिति का पुब्लिक बिरीक्षण किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुरूप सम्बद्धता प्राप्त विवाह छात्रों को प्रवेश देवा अवैधानिक है।

बिरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शर्तों में कार्यालय आपूर्ति / कार्यालय उपायक आपावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से बिरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। बिरीक्षण समिति के सदस्यों ने टी.ए. / टी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देव होगा।

प्रतिलिपि :-

1. उमस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यगाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि बिरीक्षित के संयोजक से संपर्क स्थापित कर बिरीक्षण दिनांक विधिवित कर महाविद्यालय का बिरीक्षण करायें। उक्त बिरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के नियुक्त सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, राजस्थान


कुलसचिव


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)